न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

अपील संख्या 5/2016

उनवान

1.राजाराम दत्तक पुत्र बालू जाति जाट निवासी झिराना तहसील पीपलू
2.लादू पुत्र लालू जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू टोंक

अपीलान्ट

बनाम

1.जगदीश पुत्र माता झमकू पत्नि लक्ष्मीनारायण जाट निवासी चौरूपुरा तन लावा तह0 मालपुरा लि टोंक
2.श्रीमति संतरा पत्नि रामरतन जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू
3.रामरतन पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू
4.श्रीमति भूरी पत्नि बजरंगा जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू टोंक
5 जरिये संरपच .ग्राम पंचायत झिराना तह0 पीपलू टोंक

रेस्पोडेन्ट

तारिख दायरा 22.12.2016 तारिख फैसला 7.2.2018

अपील विरूद्व नामान्करण संख्या 2809
ग्राम पंचायत झिराना स्वीकृति दिनांक 6.5.2016
अपीलान्ट अधिवक्ता :– विवेक चौधरी
रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता :–राजाराम चौधरी

निर्णय

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत झिराना द्वारा स्वीकृत नामा0 स0 2787 दिनांक 22.2.2016 विधि विधान एवं प्रकिया सबंधी त्रुटियों से ग्रसित होने से काबिल निरस्तनीय है। जिन कृषि आराजी को लेकर झमकू की विरासत का नामा0 सं0 2787 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में भरा गया वह पूर्णतया विधिक प्रावधानो के विपरीत है क्योंके वादग्रस्त आराजी पैतृक थी सिमें हिन्दु विधि एवं उत्तराधिकार अनुसार झमकू का कोई हक हिस्सा निहित नही था राजस्व रिकार्ड में झमकू के नाम का इन्द्राज होने की वजह से रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ता 4 से साज व मिलीभगत करके अपने हक में नामा0 सं0 2787 भरवा लिया और ग्राम पंचायत झिराना ने भी बिना किसी जाच के व अपीलान्ट की बिना सुनवाई के नामा0 स्वीकार किया है और रेस्पाडेन्ट सं0 1 ने अपने हक में हुए इन्द्राज का फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 4 के हक में फायदा पहुचाने की नियत से नुमाईशी विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है। इस कारण ग्राम पंचायत झिराना द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 2787 काबिल निरस्तनीय है। तथा उक्त आराजी अपीलान्ट के पूर्वज हरला पुत्र भैरू जाट द्वारा जीवनकाल में अपने पुत्र लाला द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 25.6.1971

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर अपने तीनों पुत्रों के बीच कृषि भूमि का बटवारा कर दिया था एवं राजीनामा तस्दीक करवा दिया था जिसके अनुसार हरला ने अपनी दोनो पुत्री यों गलकू व झमकूको कोई हक हिस्सा नही नही दिया था और न्यायालय निर्णय में भी हरला की पुत्री झमकू को काई हक नही मिला था किन्तु हरला की मृत्यु अपरान्त हरला के पुत्रों के साथ दोनों पुत्रीयो के नाम का भी इन्द्राज कर दिया जबकि झमकू की मृत्यू हरला से पहले ही हो चुकी थी उसके नाम का इन्द्राज विधि विरूद था उक्त नाम राजस्व रेकार्ड में कर दिये जाने के पश्चात अपीलान्ट के पूर्वजों ने एक वाद बाबत उदधोषणा ,दुरूस्ती इन्द्राज तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलेक्टर मू0 टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 1 भी स्वंय पक्षकार है। किन्तु समस्त तथ्यों को छिपाते हुए कर्मचारीयो से मिलीभगत करके अपने हक में नामा0 स0 तस्दीक करवा लिया तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट स0 1 ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 4 के हक में बिना प्रतिफल व कब्जे विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामा0 को ग्राम पंचायत के समक्ष रख कर स्वीकृत करवा लिया जो की रेस्पोडेन्ट सं0 5 को अधिकार नही है। एवं रेस्पोडेन्ट सं0 5 से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में नामा0 गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत करवाया गया है जो प्रथम द्रष्टया ही अवैध व शून्य है। तथा उक्त आराजी में हरला के तीनो पुत्रो बालू,लालू,व बजरंगा का ही हक हिस्सा है। और पुत्रीया गलकू व झमकू का विधि अनुसार कोई हक हिस्सा निहित नही है। झमकू के गलत इन्द्राज के अकंन किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी में कोई सबंध नही है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ता 4 को फायदा पहुचाने की नियत से रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया है। जो आज भी काबिज नही है। उक्त भूमि अपीलान्टन0 1 की 1/3 व अपीलान्ट 2 की 1/3 पर 3–4 साल से कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में भरा गया नामा0 विधि विरूद्व होने से निरस्तीनय है। अपीलान्ट ग्रामीण व्यक्ति है। जिन्हे राजस्व रेकार्ड की जानकारी नही थी हाल में रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व स्वीकृत नामा0 संख्या 2661 व 2739 को चैलेज किया गया है। जिसके लिए अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अपील पेश की गई है। अतः श्रीमान् जी पंचायत झिराना द्वारा स्वीकृत किया गया नामा0 पूर्णतया अवैध क्षेत्राधिकार से बाहर एवं शून्य है। जिसको निरस्तनीय के लिए विधि अनुक्रम में कोई परिसीमा निर्धारित नही है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर दफा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । तथा नामान्तरकरण संख्या 2809 दिनांक 6.5.2016 ग्राम पंचायत झिराना निरस्त फरमाया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई रेस्पोडेन्ट की और से जरिये अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है और जो कारण अपील विलम्ब से प्रस्तुत का अपीलान्ट ने बताया है वह पूर्णत्या बनावटी है अपीलान्ट को उक्त नामा0 को तस्दीक करने से पहले सूचना देने व सुनवाई का अवसर देने का प्रश्न ही पेदा नही होता है क्योकि इनका विवादित भूमि /हिस्सा से किसी प्रकार का सबंध सरोकार नही है। नामा0 सं0 2787 दिनांक 22.2.2016

उपखण्ड अधिकारी
पेपलू जिला टोंक

तत्कालीन खातेदार द्वारा अपने हिस्से का रिये विक्रय पत्र बैचान द्वारा विक्रय किये जाने के कारण विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय का नामा0 ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से तस्दीक किया गया है। जिसमें अपीलान्ट का कोई हित निहित नही है। तथा अपीलान्ट को अपील पेश करने का अधिकार प्राप्त नही होने एवं अपील गुणवक्ताहीन है। अपील में मियाद के सबंध में जो तथ्य अंकित किये गये है जों संतोषप्रद व विवास किये जाने योग्य नही होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 2787 किसी प्रकार से आरम्भतः शून्य नही है। अपीतू पूर्णतया वैधानिक है। अपील सारहीन व भारहीन होने तथा मियाद बाहर होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने अपील में प्रस्तुत कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झिराना द्वारा कृषि भूमि बाबत स्वीकृत किया गया नामा0 सं0 2787 दिनांक 22.2.2016 को निरस्त फरमाया जावे रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है और जो कारण अपील विलम्ब से प्रस्तुत का अपीलान्ट उसे खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नही होने से खारिज फरवाया जावे ।

हमने अधिवक्तागण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत झिराना द्वारा नामान्तरकरण सं0 2787 स्वीकृत दिनांक 22.2.2016 एवं अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत कानूनन नजीरे का अवलोकन किया । अपील में संलग्न दस्तावेजात में स्पष्ट जाहिर है कि विवादित भूमि को लेकर इतने वर्षो वाद प्रकरण में अपील की गई जो मियाद की दृष्टि से सीमा बाहर है। साथ ही अपील में विवादित भूमि के सबंध में दावा संख्या 92/90 वाद बाबत उदधोषणा ,दुरूस्ती इन्द्राज तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है , पहले अनुतोष मूल वाद में निर्धारित होगें । अतः राजस्व मण्डल में विचाराधीन वाद होते हुए प्रस्तुत अपील में कोई निर्णय पारित करना न्यायोचित नही है। मूल वाद में साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर हक हिस्से निर्धारित होगें । मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी को उसके हक हिस्से से वंचित किया जाना न्यायाचित नही है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व भारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 7.2.2018 को सरे इजलाश सुनाया गया। अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोंक